



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13072024-255401  
CG-DL-E-13072024-255401

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188]  
No. 188]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 10, 2024/आषाढ 19, 1946  
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 10, 2024/ASHADHA 19, 1946

## कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2024

सं.स.ल.-11/01/2023-टी&पी.—कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), भारत सरकार की कौशल विकास क्रेडिट प्रत्याभूति निधि स्कीम (सीजीएफएसएसडी) से संबंधित अधिसूचना संख्या 8-8/2014-एसडीएंडई (खंड II) दिनांक 20.11.2015 के अध्याय VI के पैरा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस प्रयोजन के लिए गठित निधि अधिसूचना संख्या 74 (01)/पीएफसी-II/2024 दिनांक 20.11.2015 के अध्याय-I, II, IV, V और VI में क्रमशः निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. इन संशोधनों को कौशल विकास क्रेडिट प्रत्याभूति निधि स्कीम (प्रथम) संशोधन, 2024 कहा जा सकता है।

### संशोधन

अध्याय 1 के पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

2. "क्रृष्ण-सीमा" - इस स्कीम के अंतर्गत बिना किसी संपार्शीक सुरक्षा अथवा तृतीय पक्ष की प्रत्याभूति के, न्यूनतम और अधिकतम क्रृष्ण-सीमा क्रमशः 5,000 रुपए और 7,50,000 रुपए हैं। हालांकि, निधि के पास आवश्यकता के आधार पर क्रृष्ण सीमा को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है।

(2) अध्याय 1 के पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

**3. "ब्याज दर"** - सदस्य ऋणदाता संस्थान द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर अनुसूचित बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक, निजी क्षेत्रीय बैंक, विदेशी बैंक और लघु वित्त बैंक) के लिए बाह्य बेंचमार्क ऋण दर (ईबीएलआर) से 1.5% प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)/गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) के लिए 21% प्रति वर्ष (समय-समय पर परिवर्तन के अधीन, जैसा कि निधि की प्रबंधन समिति द्वारा तय किया जाए) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(3) अध्याय 1 के पैरा 4 के उप-पैरा (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

**i. "कौशल ऋण और कौशल ऋण योजना"** - कौशल ऋण का तात्पर्य राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) से संरेखित पाठ्यक्रमों अथवा कौशल विकास में गैर-एनएसक्यूएफ से संरेखित पाठ्यक्रमों, जो एमएसडीई के स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाते हैं, के लिए व्यक्तियों को ऋणदाता संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋणों से है। कौशल ऋण योजना का तात्पर्य (समय-समय पर संशोधित) कौशल विकास क्रेडिट प्रत्याभूति निधि स्कीम से है।

(4) अध्याय 1 के पैरा 4 के उप-पैरा (iii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

**iii. "बाह्य बेंचमार्क ऋण दर (ईबीएलआर)"** - आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर.डीआईआर.बीसी. संख्या 14/13.03.00/2019-20 दिनांक 04 सितंबर 2019 के अनुसार, ईबीएलआर को व्यक्तिगत या खुदरा ऋणों के लिए सभी नए अस्थाई दर पर परिभाषित किया गया है और 01 अक्टूबर 2019 से बैंकों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए जाने वाले अस्थाई दर ऋणों को निम्नलिखित में से किसी एक से बेंचमार्क किया जाएगा:

क) भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत रेपो दर;

ख) फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के 3-माह के ट्रेजरी बिल के परिणाम;

ग) एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के 6-माह के ट्रेजरी बिल के परिणाम;

घ) एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित कोई अन्य बेंचमार्क बाजार ब्याज दर।

(5) अध्याय 1 के पैरा 4 के उप-पैरा (iv) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

**iv. "पात्र ऋणकर्ता"** - "पात्र ऋणकर्ता" का अर्थ भारतीय राष्ट्रीयता वाला कोई भी नया या मौजूदा ऋणकर्ता है जो राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) संरेखित पाठ्यक्रमों अथवा एमएसडीई के स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) प्लेटफॉर्म पर शामिल प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा गैर-एनएसक्यूएफ संरेखित पाठ्यक्रमों के लिए कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अर्हता के साथ पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, और जिसने ऋण प्राप्त करने के लिए ऋणदाता संस्थानों के साथ ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया है। यदि छात्र अवयस्क है, तो माता-पिता दस्तावेज़ को निष्पादित करेंगे, जबकि ऋणदाता छात्र के वयस्क होने पर उससे स्वीकृति/अनुमोदन पत्र प्राप्त करेगा। माता-पिता/अभिभावक सह-ऋणकर्ता होंगे।

(6) अध्याय 1 के पैरा 4 के उप-पैरा (ix) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

**ix. "सदस्य ऋणदाता संस्थाएं"** - सदस्य ऋणदाता संस्था से तात्पर्य अनुसूचित बैंक (सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक, निजी क्षेत्रीय बैंक, विदेशी बैंक और लघु वित्त बैंक) और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी)/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) से है, जिन्होंने स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय ऋण प्रत्याभूति ट्रस्टी कंपनी लि. (एनसीजीटीसी) के साथ पंजीकरण कराया है।

(7) अध्याय 1 के पैरा 4 के उप-पैरा (xii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

**xii. "स्कीम"** का तात्पर्य कौशल विकास क्रेडिट प्रत्याभूति निधि स्कीम है।

(8) अध्याय 1 के पैरा 4 के उप-पैरा (xiv) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

**xiv. "लॉक-इन-पीरियड"** - लॉक-इन-पीरियड का तात्पर्य है वह अवधि जिसके दौरान प्रत्याभूति का आह्वान नहीं किया जा सकता। प्रत्याभूति कवर के शुरू होने की तारीख या ब्याज पर स्थगन की अवधि की समाप्ति, जो भी बाद में हो, से लॉक-इन अवधि 3 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए 6 माह और 3 लाख रुपए से अधिक के ऋणों के लिए 12 माह होगी।

(9) अध्याय II के पैरा 5 के उप-पैरा (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

i. इस स्कीम के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन, एनसीजीटीसी, सदस्य ऋणदाता संस्थान (ईमएलआई) द्वारा पात्र ऋणकर्ता को दिए गए 5,000 रुपए से लेकर 7,50,000 रुपए तक के कौशल ऋण के संबंध में, जिसने एनसीजीटीसी के साथ इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझौता किया है, ऋणदाता संस्थानों द्वारा दिए गए कौशल ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक के विरुद्ध प्रत्याभूति प्रदान करने का दायित्व लेता है।

(10) अध्याय II के पैरा 6 के उप-पैरा (i) में निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा:

इसके अलावा, एमएसडीई के स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) पोर्टल पर शामिल गैर-एनएसक्यूएफ संरेखित पाठ्यक्रम भी इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे, जिसकी कोई न्यूनतम पाठ्यक्रम अवधि नहीं होगी।

(11) अध्याय II के पैरा 6 में निम्नलिखित उप-पैरा (iv) जोड़ा जाएगा:

iv. इस स्कीम के अंतर्गत शुरू किए जा रहे पाठ्यक्रम से संबंधित स्थूशन/पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान ऋण देने वाली संस्था सीधे प्रशिक्षण संस्थान को करेगी। पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए आवश्यक पाया जाने वाला कोई भी अन्य उचित व्यय जिसमें आकलन शुल्क, परीक्षा शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, जमानत राशि, पुस्तकों, उपकरणों और यंत्रों की आदि खरीद शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। चूंकि ऐसे पाठ्यक्रम स्थानीय होते हैं, इसलिए भोजन और आवास की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि, जहां भी यह आवश्यक पाया जाता है, उस क्षेत्र विशेष में रहने की लागत पर आधारित पात्रता के आधार पर इस पर विचार किया जा सकता है।

(12) अध्याय II के पैरा 7 के उप-पैरा (iii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

iii. कोई भी कौशल ऋण जो किसी अनुसूचित बैंक द्वारा बाह्य बैंचमार्क ऋण दर (ईबीएलआर) से 1.5% प्रति वर्ष अधिक व्याज दर पर तथा किसी एनबीएफसी/एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा 21% प्रति वर्ष (निधि की प्रबंधन समिति द्वारा समय-समय पर तय परिवर्तन के अधीन) से अधिक व्याज दर पर स्वीकृत किया गया हो। हालांकि, निधि समय-समय पर आरबीआई के मौजूदा दिशा-निर्देशों/आरबीआई नीति दरों को ध्यान में रखते हुए ऐसे अधिकतम बैंचमार्क मापदंडों या व्याज दर सीमा को संशोधित कर सकता है।

(13) अध्याय II के पैरा 9 में निम्नलिखित उप-पैरा (x),(xi),(xii), (xiii) और (xiv) जोड़े जाएंगे:

(x) ऋणदाता संस्था स्कीम के अंतर्गत शुरू किए जा रहे पाठ्यक्रम से संबंधित स्थूशन/पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान सीधे प्रशिक्षण संस्थानों को करेगी।

(xi) इस स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों पर ऋणदाता संस्थाओं द्वारा कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(xii) स्कीम के अंतर्गत ऋणों की चुकौती अवधि निम्नानुसार होगी:

50,000 रुपए तक का ऋण	3 वर्ष तक
50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक के ऋण	5 वर्ष तक
1 लाख रुपए से अधिक के ऋण	7 वर्ष तक

(xiii) छात्रों में ऋण चुकाने की आदत डालने और उनसे कुछ प्रतिबद्धताएं प्राप्त करने के लिए, ऋणदाता पाठ्यक्रम अवधि के दौरान ही किस्त ले सकते हैं। हालांकि, पाठ्यक्रम के दौरान छात्र द्वारा पाठ्यक्रम शुल्क और समान मासिक किश्तों (ईएमआई) के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में भुगतान की गई कुल राशि कुल पाठ्यक्रम शुल्क के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यह सलाह दी जाती है कि ऋणदाताओं को विशिष्ट पाठ्यक्रमों या छात्रों के कुछ वर्गों के लिए ऋण स्थगन पर विचार करना चाहिए। पुनर्भुगतान नीचे बताए अनुसार स्थगन अवधि के बाद शुरू हो सकता है:

1 वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम पूरा होने से 6 महीने तक स्थगन
1 वर्ष से अधिक की अवधि के पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम पूरा होने से 12 माह तक स्थगन

ऋणदाताओं को पुनर्भुगतान की संरचना चुनने की सुविधा होगी – सपाट समान मासिक किस्त (ईएमआई), स्थूब भुगतान या अधिस्थगन अवधि, जैसा कि विभिन्न क्षेत्रों और छात्र श्रेणियों के लिए उपयुक्त समझा जाए।

(xiv) क्रृति पुनर्भुगतान की शुरुआत के बाद किसी भी समय बिना किसी पूर्व भुगतान शुल्क का भुगतान किए क्रृति चुका सकता है। यदि कोई छात्र दुर्घटना/मृत्यु/विकलांगता के कारण पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाता है, तो क्रृतिदाता प्रशिक्षण संस्थान से अपूर्ण पाठ्यक्रम राशि के हिस्से की आनुपातिक प्रतिपूर्ति मांग सकता है।

(14) अध्याय IV के पैरा 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

11. निधि निम्नानुसार प्रत्याभूति कवर प्रदान करेगी:

लोन स्लैब (लाख रुपए में)	चूक की राशि पर प्रत्याभूति कवरेज
0.05 - 4.0	75%
4.0 - 7.5	70%

निधि को इसमें संशोधन करने का अधिकार है। प्रत्याभूति कवर प्रत्याभूति शुल्क के भुगतान की तारीख से शुरू होगा और कौशल क्रृति की सहमत अवधि तक चलेगा।

(15) अध्याय V के पैरा 12 के उप-पैरा (i) (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(i) (ख) 3 लाख रुपए तक के क्रृतियों के लिए 6 माह की लॉक-इन पीरियड तथा 3 लाख रुपए से अधिक के क्रृतियों के लिए 12 माह की लॉक-इन पीरियड, ब्याज स्थगन की अवधि के अंत से या कवर किए गए क्रृति के संबंध में प्रत्याभूति कवर के प्रारंभ होने की तारीख से, जो भी बाद में हो, समाप्त हो गई है। प्रत्याभूति कवर के प्रारंभ होने की तिथि या ब्याज स्थगन की अवधि की समाप्ति, जो भी बाद में हो, से लॉक-इन अवधि निर्धारित की गई है।

(16) अध्याय V के पैरा 12 में निम्नलिखित उप-पैरा (vii) जोड़ा जाएगा:

vii. वित्त-वर्ष 2024-25 और वित्त-वर्ष 2025-26 के दौरान वितरित क्रृतियों पर दावा भुगतान (दावों के वर्ष पर ध्यान दिए बिना) उस वर्ष - क्रृति जिस वर्ष से संबंधित था - के दौरान वितरित कुल क्रृतियों के 20% तक सीमित रहेगा। वित्त-वर्ष 2026-27 से यह सीमा घटाकर 15% कर दी जाएगी।

नीलाम्बुज शरण, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

## MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July 2024

**No. SL-11/01/2023- T&P.**—In exercise of the powers conferred by Para 19, Chapter VI of the Notification No. No.8-8/2014-SD&E (Vol.II) dated 20.11.2015 concerning Credit Guarantee Fund Scheme for Skill Development (CGFSSD) of Ministry of Skill Development & Entrepreneurship (MSDE), Government of India, the Fund constituted for the purpose makes the following modifications in Chapters-I, II, IV, V and VI respectively of the Notification No. 74 (01)/PFC-II/2024 dated 20.11.2015 namely:-

1. These amendments may be called Credit Guarantee Fund Scheme for Skill Development (First) Amendment, 2024.

#### Amendments

(1) For Para 2 of Chapter I, the following shall be substituted:

2. **Loan Limit** - The minimum and maximum loan limit under this Scheme is Rs.5000/- and Rs.7,50,000/- respectively, without any collateral security and/or third-party guarantee. However, the Fund reserves the right to revise the loan limit as and when required.

(2) For Para 3 of Chapter I, the following shall be substituted:

3. **Interest Rate** - The Interest Rate to be charged by the Member Lending Institution should not be more than 1.5 % p.a. over External Benchmark Lending Rate (EBLR) for Scheduled Banks (Public Sector Banks, Private Sector Banks, Foreign Banks and Small Finance Banks) and 21% p.a. (subject to change from time to time, as may be decided by the Management Committee of the Fund) for Non-Banking Financial Company (NBFC)/Non-Banking Finance Company-Micro Finance Institutions (NBFC-MFIs).

(3) For Sub-para (i) of Para 4 of Chapter I, the following shall be substituted:

i. **“Skill Loans and Skill Loans Scheme”** - Skill Loans refers to loans extended by lending institutions to individuals for the National Skill Qualification Framework (NSQF) aligned courses and/or the Non-NSQF aligned courses in skill development provided by the training entities onboarded on the MSDE's Skill India

Digital Hub (SIDH) platform. Skill Loan Scheme refers to the Credit Guarantee Fund Scheme for Skill Development, as modified from time to time.

(4) For Sub-para (iii) of Para 4 of Chapter I, the following shall be substituted:

iii. **“External Benchmark Lending Rate (EBLR)”** – As per RBI Circular No. DBR.DIR.BC. No.14/13.03.00/2019-20 dated September 04, 2019, EBLR is defined as all new floating rate for personal or retail loans and the floating rate loans to Micro and Small Enterprises extended by banks from October 01, 2019 shall be benchmarked to one of the following:

- a) Reserve Bank of India policy repo rate
- b) Government of India 3-Months Treasury Bill yield published by the Financial Benchmarks India Private Ltd (FBIL)
- c) Government of India 6-Months Treasury Bill yield published by the FBIL
- d) Any other benchmark market interest rate published by the FBIL.

(5) For Sub-para (iv) of Para 4 of Chapter I, the following shall be substituted:

iv. **“Eligible Borrower”**- “Eligible Borrower” means any new or existing borrower with Indian Nationality who meets the eligibility criteria with minimum qualifications to undergo skill training for the National Skill Qualification Framework (NSQF) aligned courses and/or the Non-NSQF aligned courses by the training entities onboarded on the MSDE’s Skill India Digital Hub (SIDH) platform, and who has executed the loan documents with the lending institutions to avail the loan. If the student is a minor, while the parent(s) would execute the documents, the lender will obtain a letter of acceptance/ratification from the student upon becoming major. Parents /guardians will be the co-borrowers.

(6) For Sub-para (ix) of Para 4 of Chapter I, the following shall be substituted:

ix. **“Member Lending Institution(s)”**- Member Lending institution(s) means the Scheduled Banks (Public Sector Banks, Private Sector Banks, Foreign Banks and Small Finance Banks) and the Non-Banking Finance Company (NBFC)/ Non-Banking Financial Company-Micro Finance Institutions (NBFC-MFIs) who are registered with National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC) under the Scheme.

(7) For Sub-para (xii) of Para 4 of Chapter I, the following shall be substituted:

xii. **“Scheme”** means the Credit Guarantee Fund Scheme for Skill Development.

(8) For Sub-para (xiv) of Para 4 of Chapter I, the following shall be substituted:

xiv. **“Lock-in-period”**- Lock-in-period means the period during which no invocation of guarantee can be made. Lock-in-period shall be 6 months for loans upto Rs.3 lakh and 12 months for loans above Rs.3 lakh from the date of commencement of guarantee cover or end of period of moratorium of interest, whichever is later.

(9) For Sub-para (i) of Para 5 of Chapter II, the following shall be substituted:

i. Subject to the other provisions of the Scheme, NCGTC undertakes, in relation to Skill Loans ranging from Rs.5000/- to Rs.7,50,000/- extended to an eligible borrower by a Member Lending Institution (MLI) which has entered into necessary agreement for this purpose with NCGTC, to provide guarantee against default in repayment of skill loans extended by the lending institutions.

(10) The following para shall be added to Sub-para (i) of Para 6 of Chapter II:

In addition, the non-NSQF aligned courses on-boarded on the MSDE’s Skill India Digital Hub (SIDH) portal shall also be covered under the scheme, with no minimum course duration.

(11) The following Sub-para (iv) shall be added to Para 6 of Chapter II:

iv. The lending institution shall pay tuition/course fee related to the course being undertaken under the scheme directly to the Training Institute. Any other reasonable expenditure found necessary for completion of the course including but not limited to assessment fee, examination fee, library charges, laboratory fee, caution deposit, purchase of books, equipment’s and instruments, etc. may be covered. As such courses are localized, the boarding and lodging may not be necessary. However, wherever it has been found necessary, the same could be considered on merit based on the cost of living in the particular area.

(12) For Sub-para (iii) of Para 7 of Chapter II, the following shall be substituted:

iii. Any Skill loans which have been sanctioned with the interest rate higher than 1.5% p.a. over the External Benchmark Lending Rate (EBLR) by a Scheduled Bank and the interest rate higher than 21% p.a. (subject to change from time to time as may be decided by the Management Committee of the Fund) by an NBFC/NBFC-MFI. However, the Fund may revise such ceiling benchmark parameters or interest rate cap from time to time keeping in view the prevailing RBI guidelines/RBI policy rates.

(13) The following Sub-paras (x), (xi), (xii), (xiii) and (xiv) shall be added to Para 9 of Chapter II:

(x) The lending institution shall pay tuition/course fee related to the course being undertaken under the scheme directly to the Training Institutes.

(xi) No Processing fee will be charged by lending institutions on loans sanctioned under the scheme.

(xii) The loans under the scheme will have a repayment tenure as follows:

Loans up to ₹ 50,000	Upto 3 years
Loans between ₹ 50,000 to ₹ 1.0 lakh	Upto 5 years
Loans above ₹ 1.0 lakh	Upto 7 years

(xiii) In order to instil repayment behaviour and get some commitments from the students, the lenders may have instalment during the course period itself. However, the total amount paid by the student as down-payment towards course fee and Equated Monthly Instalments (EMI) during the course together should not exceed 10% of the total course value.

It is advised that the lenders should consider moratorium for specific courses or certain sections of the students. Upon completion of the course, repayment may start after a moratorium period as indicated below:

Courses of duration upto 1 year	Moratorium up to 6 months from the completion of the course
Courses of duration above 1 year	Moratorium up to 12 months from the completion of the course

The lenders will have flexibility to choose the structure of repayment - flat Equated Monthly Instalments (EMI), tube payments or moratorium period as deemed fit for various sectors and student categories.

(xiv) The borrower can repay the loan any time after commencement of repayment without having to pay any prepayment charges. In case a student is not able to complete the course because of accident/death/disability, the lender can seek a pro-rata reimbursement of the unfinished portion of the course amount from the training institute.

(14) For Para 11 of Chapter IV, the following shall be substituted:

11 The Fund shall provide guarantee cover as under:

Loan Slab (Rs Lakh)	Guarantee coverage on amount in default
0.05-4.0	75%
4.0-7.5	70%

The Fund reserves the right to modify the same. The guarantee cover will commence from the date of payment of guarantee fee and shall run through the agreed tenure of the skill loans.

(15) For Sub-para (i)(b) of Para 12 of Chapter V, the following shall be substituted:

(i) (b) The lock-in period of 6 months for loans upto Rs.3 lakh and 12 months for loans above Rs.3 lakh from either the end of period of moratorium of interest or the date of commencement of guarantee cover in respect of loan covered, whichever is later, has elapsed. A lock-in-period has been stipulated from the date of commencement of guarantee cover or end of period of moratorium of interest, whichever is later.

(16) The following Sub-para (vii) shall be added to Para 12 of Chapter V:

vii. Claim payout (irrespective of the year of claims) on loans disbursed during FY 2024-25 and FY 2025-26 shall be capped at 20% of the total loans disbursed during the year to which the loan pertained. This cap shall be reduced to 15% w.e.f. FY 2026-27.

NILAMBUJ SHARAN, Sr. Economic Advisor